राजस्थान सतर्क हैं

COVID-19
MOST-URGENT

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांकः सामान्य/चिकित्सा/2020/30757 दिनांक 29 मार्च, 2020

:: आदेश ::

भीलवाड़ा जिले में कोविड–19, नोवल कोरोना वायरस के संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने से कोरोना वायरस के संक्रमण से जिले के नागरिको के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति को खतरा होने के कारण भीलवाड़ा जिले की राजस्व सीमा (शहरी एवं ग्रामीण) क्षेत्र में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गयीं हैं।

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देश के अनुक्रम में आदेश दिये जाते हैं कि –

1.	जिले में पद–स्थापित सभी राजकीय अधिकारी/कर्मचारी सक्षम अनुमति के बिना अपने मुख्यालय का त्याग नहीं करेगें।
2.	भीलवाड़ा जिले में पद–स्थापित समस्त अधिकारी/कर्मचारी, जो अपने पद–स्थापन मुख्यालय पर हैं अथवा मुख्यालय से दीगर जिले में ही अपने निवास स्थल पर हैं, उनकी डयूटी/सेवाएं कोविड–19, नोवल कोरोना वायरस के दृष्टिगत अन्य कार्यो में नियुक्त किया जा सकेगा।
3.	भीलवाड़ा जिले से बाहर पद–स्थापित अधिकारी/कर्मचारी, जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में हैं तथा लॉकडाउन/निषेधाज्ञा के कारण अपने पद–स्थापन मुख्यालय पर नहीं जा पा रहे हैं, उनकी डयूटी/सेवाएं कोविड–19, नोवल कोरोना वायरस के दृष्टिगत अन्य कार्यो में नियुक्त किया जा सकेगा।

जिले के सभी जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण को आदेशित किया जाता हैं कि उक्तानुसार राजकीय अधिकारियो/कर्मचारियो को भोजन वितरण, कानून व्यवस्था, सर्वे दल एवं अन्य कार्यो में संयोजित किया जावे।

नियुक्त किए जाने वाले ऐसे समस्त अधिकारियो/कर्मचारियो को समुचित प्रशिक्षण दिया जावे तथा मास्क एवं सेनेजाईटर उपलब्ध कराएं जावे। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव, नियंत्रण एवं सावधानी बरती जावे। इस संबंध में राज्य सरकार तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशो एवं मेडिकल प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन किया जावे।

आदेश की अक्षरशः एवं समय पर पालना सुनिश्चित की जावे।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –

1. **मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर**
2. **अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर**
3. **अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर**
4. **संभागीय आयुक्त, अजमेर**

Scanned by CamScanner

5. उप महानिरीक्षक, अजमेर रेंज, अजमेर
6. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा
7. अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), भीलवाड़ा
8. अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भीलवाड़ा
9. प्रभारी अधिकारी, स्थापना अनुभाग
10. प्रभारी अधिकारी एवं ऑल ओवर इंचार्ज, वॉर रूम, भीलवाड़ा
11. प्रभारी अधिकारी एवं ऑल ओवर इंचार्ज, नियंत्रण कक्ष, भीलवाड़ा
12. समस्त उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
13. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जिला भीलवाड़ा
14. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा
11. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा
12. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
13. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जिला भीलवाड़ा
14. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, भीलवाड़ा
15. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner